

40861  
ur

5002

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 फरवरी, 2010

संख्या का० आ० 39/ह० अ० 6/2003/धा० 7/2010.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि अनुसूची 'ग' में, क्रम संख्या 1 से 101 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर वैट व्यवहारी द्वारा देय कर तुरन्त प्रभाव से पांच प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा।

रमेन्द्र जाखू,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।